

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.स./2014

जयपुर, दिनांक—०१/२/१७

आज्ञा

इस सचिवालय की समर्ख्यक आज्ञा दिनांक 13.10.2014 एवं 28.01.2015 के द्वारा राज्यों में विधान परिषद के सृजन, उत्सादन और गठन (Creation, Abolition and Composition) के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसद की विभागीय स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में भारत के विधि एवं न्याय मन्त्रालय द्वारा भेजे गये Consultation Paper में उठाए गये मुद्दों पर विचार करने और राज्य में विधान परिषद के सृजन के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा/सरकार के पूर्ववर्ती मत का परीक्षण कर दोनों विषयों के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के निर्णयार्थ सिफारिश करने बाबत् गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में एतद्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः—

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री, गृह और न्याय, गृह रक्षा
एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। | संयोजक |
| 2. श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग। | |
| 3. श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग। | |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग संसदीय कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. जेवरिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)सं.म./2014

जयपुर, दिनांक: १३ / १० / १९

आज्ञा

राज्यों में विधान परिषद के सृजन, उत्सादन और गठन (Creation, Abolition and Composition) के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसद की विभागीय समिति की सिफारिशों के संबंध में भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गये Consultation Paper में उठाए गये मुद्दों पर विचार करने और राज्य में विधान परिषद के सृजन के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा/सरकार के पूर्ववर्ती मत का परीक्षण कर दोनों विषयों के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के निर्णयार्थ सिफारिश करने बाबत एतद्वारा निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया जाता है:-

1.	श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री, ग्रामीण एवं पंचायतीं राज विभाग	संयोजक
2.	श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।	
3.	श्री युनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।	

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग संसदीय कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख आसन सचिव, संसदीय कार्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
 2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
 3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
 4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव ।
 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग ।
 6. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग—प्रशासनिक विभाग के रूप में अपने स्तर से सीटिंग आयोजित करने की कार्यवाही करने हेतु ।
 7. रक्षित पत्रावली ।


विरेण्ड्र कुमार सिंह जज सचिव

१

राजस्थान सर
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.म. / 2014

जयपुर, दिनांक: २८/१/१५

आज्ञा

इस सचिवालय की समख्यक आज्ञा दिनांक 13.10.2014 के द्वारा राज्यों में विधान परिषद के सृजन, उत्सादन और गठन (Creation, Abolition and Composition) के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसद की विभागीय रथायी समिति की सिफारिशों के संबंध में भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गये Consultation Paper में उठाए गये मुद्दों पर विचार करने और राज्य में विधान परिषद के सृजन के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा/सरकार के पूर्ववर्ती मत का परीक्षण कर दोनों विषयों के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के निर्णयार्थ सिफारिश करने बाबत गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

1.	श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री, गृह और न्याय, गृह रक्षा संयोजक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	संयोजक
2.	श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।	
3.	श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।	

राज्यपाल की आज्ञा से,

४७/—

(अजीत लुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग।
- प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
- रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव